रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 2011/माघ 16, 1932

No. 55] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 2011/MAGHA 16, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 65(अ).—भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 में भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 858(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 के तहत विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के खण्ड 18 के उप-खण्ड (1) की आवश्यकतानुसार विस्फोटक नियम, 2008 को संशोधित करने के लिए नियमों का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसमें इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव, राजपत्र की प्रतियां, जिनमें उक्त अधिसूचना शामिल थी, जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि केन्द्र सरकार को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 व 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब केन्द्र सरकार ने एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं :—

1. (1) इन नियमों को विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2010 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. विस्फोटक नियम, 2008 के भाग 4 की अनुसूची V, सेट-XVI, शर्त 3 के अनुच्छेद (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"(क) प्रत्येक तीली पर विस्फोटक मिश्रण की मात्रा रंगीन माचिस के मामले में 2.0 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए और स्टार माचिस के मामले में 3.0 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए और तीली की लम्बाई 180 मिमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए और तीली की लम्बाई के आधे से अधिक पर विस्फोटक मिश्रण नहीं लगा होना चाहिए ।"

[फा. सं. 31(5)/2008-विस्फोटक]

चैतन्य प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मुख्य नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2011

G.S.R. 65(E).—Whereas draft rules to amend the Explosives Rules, 2008 were published, as required by sub-section (1) of Section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), *vide* notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Number G.S.R. 858(E), dated the 3rd December, 2009 in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 3rd December, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 3rd day of December, 2009;

And, whereas, no objections and suggestion have been received by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008, in Schedule V in Part 4, in SET-XVI, in Condition 3, for clause (a), the following clause shall be substituted namely :—

"(a) The explosives mixture on each stick shall not exceed 2.0 gram in the case of colour matches and 3.0 gram in the case of star matches and the length of the stick shall not be more than 180 mm and the extent of length of each stick covered by explosives mixture shall not be more than half of the length of the stick"

[F. No. 31(5)/2008-Expl.]

CHAITANYA PRASAD, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 907(E), dated the 31st December, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.